प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला..... **भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली,** .....थाना.....**प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**... वर्ष ...**2022**....
   प्र. इ. रि. स. .....466/22..... दिनांक .....06/12/2022.....
2. (अ) अधिनियम ....**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)** ...धारायें...**7** .....
   (ब) अधिनियम ....धारायें.....**120 बी भा.द.सं.** .....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....121.....समय.....5:30 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–.....**सोमवार/05.12.2022 /11:45 ए.एम.** .....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक ..... समय. .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – .....**लिखित** .....
5. घटनास्थल :– .....**परिसर पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर** .....
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – .....**बजानिव दिशा पूर्व, दूरी करीब 40 कि.मी.**.....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम .....**श्री सिरमोहर मीना**.....
   (ब) पिता /पति का नाम .....**श्री रूपचन्द** ....जाति .....**मीना**.....(स) जन्म तिथि/वर्ष.....**52 वर्ष** ....
   (द) राष्ट्रीयता.....**भारतीय** .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय.....
   (ल) पता..... **निवासी ग्राम कोड़र, पुलिस थाना सदर करौली, जिला करौली**.....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1. **हरिओम मीना पुत्र श्री गजाधर मीना, उम्र 40 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम कासोटी खेड़ा, पुलिस थाना सदर बाड़ी, जिला धौलपुर हाल निवासी बालाजी नगर जेल रोड़ धौलपुर हाल हैड कानि. 232, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर।**
   2. **अन्य पुलिस कर्मी**
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–.....**कोई नही**.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   .....**20,000/–रूपये रिश्वत राशि** .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....**20,000/–रूपये रिश्वत राशि** .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....**नहीं**.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

दिनांक 02.12.2022 को मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9783828013 पर मोबाईल नं. 7851082569 से समय करीब 11:40 ए.एम. पर फोन आया व अपने आपको सिरमोहर मीना निवासी कोड़र होना बताते हुए बताया कि मेरे भाई व उसक दोस्त को सरमथुरा पुलिस थाना में बिठा रखा है। सरमथुरा पुलिस थाना के पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है व हरिओम हैड साहब हमें अभी थाने पर बुला रहा हूँ। हम अभी करौली नही आ सकते है। हम आपको नेशनल हाईवे पर स्थित ओवरब्रिज के पास मिल जायेगे। वगैरा मोबाईल सूचना रिश्वत लेन–देन से सम्बन्धित होने पर मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय श्री श्याम सिंह कानि. 599, श्री बृजेश कुमार कानि. 461 मय सरकारी वाहन बोलेरो RJ14UB0336 मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 के मय वाईस रिकार्डर, सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, स्पीकर आदि ए.सी.बी. कार्यालय करौली से रवाना होकर करौली–धौलपुर नेशनल हाईवे पर सरमथुरा में स्थित ओवरब्रिज के पास पहुंचे जहां पर परिवादी श्री सिरमोहर मीना व श्री राजकुमार मीना उपस्थित मिले। जिनके द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACB करौली, विषय– सरमथुरा थाने के पुलिस वालो को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि करीब 7–8 दिन पहले मेरा छोटा भाई मान सिंह उर्फ लाला व उसका दोस्त राजेश किसी काम से सरमथुरा आये थे जिनको सरमथुरा पुलिस वालों ने पकड लिया और थाने में बिठा लिया। पता लगने पर मैं और राजकुमार

सरमथुरा थाने में गये व पुलिस वाले हरिओम हैड कानिस्टेबल से मिले जिसने थानेदार से पूछकर मान सिंह उर्फ लाला व राजेश को छोडने के लिए 50,000 रूपये मांगे। हमने मना कर दिया। शाम को हम दूबारा हम थाने में थानेदार के पास गये तो थानेदार ने एक नाम बताया नाम हमें ध्यान नही है उससे मिले तो उस पुलिस वाले ने 25000 रूपये देने पर एक दारू का केस लगाने का कहा। हमने कहा कि अगर केस लगाते है रूपये किस बात के दे। हम घर आ गये। अब हमे हरिओम फोन कर थाने में बुला रहा है। हम पुलिस वालो को रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहते है। दिनांक 02.12.2022 प्रार्थी हस्ता0 सिरमोहर मीना पुत्र श्री रूपचन्द मीना, उम्र 52 वर्ष, जाति मीना, ग्राम कोड़र, जिला करौली। हस्ता0 राजकुमार 6367955472, 7851082569

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 02.12.2022 समय 01:05 पी.एम. भ्र.नि.ब्यूरो चौकी करौली, बमुकाम करौली–धौलपुर नेशनल हाईवे, सरमथुरा।

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री सिरमोहर मीना पुत्र श्री रूपचन्द मीना, उम्र 52 वर्ष, जाति मीना, निवासी कोड़र जिला करौली एवं सहपरिवादी श्री राजकुमार मीना पुत्र श्री मान सिंह, उम्र 20 वर्ष, निवासी कोड़र जिला करौली मय निजि मोटर साईकिल के करौली–धौलपुर नेशनल हाईवे पर सरमथुरा में स्थित ओवरब्रिज के पास उपस्थित मिले व परिवादी श्री सिरमोहर मीना ने एक लिखित रिपोर्ट सरमथुरा थाने के पुलिस वालो को रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश की। लिखित रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री सिरमोहर मीना से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो रिपोर्ट स्वंय द्वारा बोल–बोल कर अपने भाई मान सिंह के लड़के राजकुमार मीना से लिखवाना बताया व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया व लिखित रिपोर्ट की ताईद की। परिवादी के साथ आये सहपरिवादी श्री राजुकमार मीना ने लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में मजिद दरियाप्त पर बताया कि यह रिपोर्ट मैनें मेरे बड़े पापा सिरमोहर के कहे अनुसार लिखी है। रिपोर्ट में लिखी हुई सभी बाते सही है व मेरी जानकारी में है। हम रिश्वतखोर पुलिस वालो को रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है। परिवादी प सहपरिवादी ने पूछने पर उधार का लेन–देन बकाया नही होना व नां ही कोई दुश्मनी होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे विभागीय वॉईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) को निकालकर परिवादी व सहपरिवादी को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से अटैच करवाकर खाली करवाकर बन्द हालत में श्री श्याम सिंह कानि. 599 को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। श्री श्याम सिंह कानि. एवं परिवादी श्री सिरमोहर मीना व सहपरिवादी श्री राजकुमार मीना को बाद हिदायत मय निजि मोटर साईकिल के रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना सरमथुरा के लिए रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहन व जाप्ता के करौली–धौलपुर नेशनल हाईवे पर सरमथुरा से आगे ओवरब्रिज के पास स्थित मीनेश्वर भगवान मन्दिर पर परिवादीगण व श्याम सिंह के बाद सत्यापन आने का इन्तजार करने लगा। समय 02:10 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. मय परिवादी व सहपरिवादी मय मोटर साईकिल के बाद रिश्वत मांग सत्यापन के मीनेश्वर भगवान मन्दिर पर उपस्थित आये व परिवादी श्री सिरमोहर मीना ने पूछने पर बताया कि मैं और राजकुमार व आपका कर्मचारी आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना सरमथुरा के पास पहुंचे जहां आपके कर्मचारी श्याम सिंह ने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर मुझे दे दिया, जिस पर मैं और राजकुमार मोटर साईकिल से रवाना होकर थाने में अन्दर गये व सी.आई. साहब के बारे में पूछकर उनके पास गये जो किसी अन्य व्यक्तियो से बात कर रहे थे। हमने थोड़ा इन्तजार किया इसके बाद सी.आई. साहब सरकारी गाड़ी से कही जा रहे थे तो हम उनसे मिले व हमें बुलाने के बारे में पूछा तो उन्होने कहा कि किसने बलाया मुझे पता नही है और हमें हैड साहब से मिलने की कहकर कही चले गये, इस पर हम हरिओम हैड साहब से मिले व उनसे बात की तो उन्होने एक ही दारू का मुकदमा लगाना बताया व 5 मोटर साईकिल बरामद होने का मुकदमा नही लगाने की बात कही। हमारे द्वारा

25,000 रूपये में से कम करने की कहा तो हैड साहब ने कहा कि जो लाये हो वो दे जाओ। हमारे द्वारा दुबारा रूपये कम करने की कहने पर हैड साहब ने 20,000 रूपये देने की कहा। इस पर मैने 10,000 रूपये की व्यवस्था होने की कहा व कुछ ही देर में दुकान से लाने की कह कर हम वहा से आ गये और थाने के पास ही आपके कर्मचारी को वाईस रिकार्डर दे दिया जिन्होने बन्द कर रिकार्डर अपने पास रख लिया और हम वहां से आपके पास आ गये। सहपरिवादी ने पूछने पर परिवादी के कथनो की ताईद की व श्याम सिंह कानि. ने वाईस रिकार्डर बन्द हालत में सुरक्षित अपने पास रखा होना बताया। गवाहान एवं परिवादी व सहपरिवादी के सामने श्री श्याम सिंह कानि. ने वाईस रिकार्डर बन्द हालत में पेश किया, वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को स्पीकर की सहायता से सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद होना पाया गया। फर्द वापसी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। समय 03:05 पी.एम. पर परिवादी श्री सिरमोहर मीना ने बताया कि हमारी कुछ देर पहले हरिओम हैड कानि. से मोबाईल पर बात हुई है हमने दुकान बन्द होने के कारण रूपये कल देने की कहा है। हम रूपयों की व्यवस्था कर शाम तक आपके कार्यालय में आ जायेगे। इस पर परिवादी व सहपरिवादी को आवश्यक निर्देश देकर ए.सी.बी. कार्यालय करौली में पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। ब्यूरो चौकी करौली पर जरिये मोबाईल स्टाफ से वार्ता कर ट्रेप कार्यवाही हेतु कल दिनांक 03.12.2022 को समय 08:00 ए.एम. पर दो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने बाबत आवश्यक निर्देश दिये गये। मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय सरकारी वाहन के गोपनीय सूत्र सम्पर्क करता हुआ 05:35 पी.एम. पर कार्यालय आया। श्री राकेश सिंह कानि. ने निर्देशानुसार कार्यालय के पत्र क्रमांक 1140 दिनांक 02.12.2022 द्वारा पंचायत समिति करौली से श्री विष्णु सिंह कानि. के मार्फत कल दिनांक 03.12.2022 को समय 08:00 ए.एम. पर दो स्वतंत्र गवाहान ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाने बाबत उक्त पत्र पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:45 पी.एम. पर परिवादी श्री सिरमोहर मीना व सहपरिवादी श्री राजकुमार मीना उपस्थित कार्यालय आये। गवाहान एवं परिवादी व सहपरिवादी की उपस्थिति में वाईस रिकार्डर को कार्यालय में स्थापित सरकारी कम्प्यूटर (acerकम्पनी) में कनेक्ट करवा कर वाईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) में रिकार्ड वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (30 मिनट 28 सैकेण्ड) को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता का 1 पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु व 3 DVD (SONY कमनी) दो मुल्जिम प्रति एवं एक आई.ओ. प्रति तैयार करवाकर मार्क "A" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व पैन ड्राईव व DVD में डब वार्ता का मिलान किया तो हूबहू होना पाई गई। कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी प सहपरिवादी से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा न्यायालय प्रति पैन ड्राईव (Kingston) व दो मुल्जिम प्रति DVD को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं एक आई.ओ. प्रति DVD को कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट तथा मुताबिक फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.12.2022 से आरोपी हरिओम हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर एवं अन्य पुलिस कर्मी द्वारा परिवादी के छोटे भाई मान सिंह उर्फ लाला व राजेश के विरूद्ध केवल एक दारू का मुकदमा लगाने व बरामद मोटर साईकिलों का मुकदमा नही लगाने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना व परिवादी द्वारा 10,000 रूपये रिश्वत राशि देने का कहना स्पष्ट हुआ। न्यायालय प्रति शील्ड पैन ड्राईव व दो मुल्जिम प्रति DVD शील्ड मार्क A को जमा मालखाना करवाया गया एवं परिवादी श्री सिरमोहर मीना व सहपरिवादी श्री राजकुमार मीना को दिनांक 03.12.2022 को समय 08:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने के हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 03.12.2022 को समय 08:30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री वीर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 30 वर्ष, निवासी जिन्दो का पुरा (कैमरी), पुलिस थाना नादौती, जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय पंचायत समिति करौली एवं श्री गिरीश कुमार व्यास पुत्र श्री केदार लाल व्यास, जाति ब्राहमण, उम्र 47 वर्ष, निवासी वैशाली नगर करौली,

पुलिस थाना कोतवाली करौली, जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय पंचायत समिति करौली उपस्थित कार्यालय आये जिनको कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुए कार्यालय में बिठाया गया। समय 11:50 ए.एम. पर परिवादी श्री सिरमोहर मीना व सहपरिवादी श्री राजकुमार मीना उपस्थित कार्यालय आये व पूछने पर बताया कि 10,000 रूपये पुलिस वाले लेते नही इसलिए पूरी रिश्वत राशि का इन्तजाम करने में देर लग गई है। रिश्वत राशि 20,000/–रूपये की व्यवस्था हो गई है, इस पर हम आपके कार्यालय में आये है। इस पर कार्यालय में पूर्व से उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री वीर सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री गिरीश कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादीगण से आपस में परिचय करवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने हेतु कहा तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। इस पर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दोनों स्वतंत्र गवाहान को दी जाकर पढ़वाया गया व अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवही के बारे में अवगत कराया। दोनो स्वतंत्र गवाहान लिखित रिपोर्ट पर प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर मय दिनांक किये। समय 12:30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं सहपरिवादी श्री राजकुमार मीना के सामने परिवादी श्री सिरमोहर मीना ने मांगने पर आरोपी हरिओम हैड कानि. पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर एवं अन्य को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनका विवरण निम्न है:–

कम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	9 BS 813759
2	एक नोट 500 रूपये का	7 TM 577579
3	एक नोट 500 रूपये का	5 US 787900
4	एक नोट 500 रूपये का	9 QU 837385
5	एक नोट 500 रूपये का	3 CG 889605
6	एक नोट 500 रूपये का	3 BP 068309
7	एक नोट 500 रूपये का	4 GU 204559
8	एक नोट 500 रूपये का	1 GM 542742
9	एक नोट 500 रूपये का	0 HT 952547
10	एक नोट 500 रूपये का	8 ML 081164
11	एक नोट 500 रूपये का	5 RT 622782
12	एक नोट 500 रूपये का	4 LM 268525
13	एक नोट 500 रूपये का	6 FD 049930
14	एक नोट 500 रूपये का	1 TF 465876
15	एक नोट 500 रूपये का	1 BU 576233
16	एक नोट 500 रूपये का	6 BE 540273
17	एक नोट 500 रूपये का	7 VN 148424
18	एक नोट 500 रूपये का	7 MF 638288
19	एक नोट 500 रूपये का	9 BM 042722
20	एक नोट 500 रूपये का	7 HQ 597746
21	एक नोट 500 रूपये का	9 AG 516568
22	एक नोट 500 रूपये का	8 PQ 673021
23	एक नोट 500 रूपये का	9 NV 570802
24	एक नोट 500 रूपये का	6 CH 473087
25	एक नोट 500 रूपये का	5 ED 837510
26	एक नोट 500 रूपये का	4 BQ 349622
27	एक नोट 500 रूपये का	2 FL 556243
28	एक नोट 500 रूपये का	0 MC 758062
29	एक नोट 500 रूपये का	0 GD 955440
30	एक नोट 500 रूपये का	1 FS 662396
31	एक नोट 500 रूपये का	0 FW 802326
32	एक नोट 500 रूपये का	2 UC 282705
33	एक नोट 500 रूपये का	0 EN 608143
34	एक नोट 500 रूपये का	6 TN 769358

35	एक नोट 500 रूपये का	6 QT 962544
36	एक नोट 500 रूपये का	8 AV 239886
37	एक नोट 500 रूपये का	8 FB 137454
38	एक नोट 500 रूपये का	6 AH 158446
39	एक नोट 500 रूपये का	3 KU 843024
40	एक नोट 500 रूपये का	6 KA 876540

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरों का मिलान फर्द से दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री केशव देव कानि. 600 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा मंगाया जाकर श्री केशव देव कानि. से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 20,000/–रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री सिरमोहर मीना की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गिरीश कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री केशव देव कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 20,000/–रूपये के नोट परिवादी श्री सिरमोहर मीना के बदन पर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दांयी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी व सहपरिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपीगण उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर ईशारा/सूचना करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी आवश्यक हिदायत दी गई साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री वीरसिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री केशव देव कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी, सहपरिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को ढक्कन बंद करवाकर श्री राकेश सिंह कानि. से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री केशव देव कानि. से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील के कटोरो आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री सिरमोहर मीना को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (पैनड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर में लगे धागे से वाईस रिकार्डर को गले में लटकवाया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया गया। श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक व राकेश सिंह कानि. 268 को सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से एवं सहपरिवादी को स्वयं की निजि मोटर साईकिल से श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. के साथ तथा सरकारी वाहन बोलरो नं RJ14 UB 0336 से मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय बृजेश कुमार कानि. 461, श्री श्याम सिंह कानि. 599, विष्णु सिंह कानि. 135, परिवादी श्री सिरमोहर मीना, स्वतंत्र गवाह श्री वीर सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री गिरीश कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु सरमथुरा के लिए रवाना हुआ। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री केशव देव कानि. 600 को न्यायालय के राजकार्य से भरतपुर रवाना किया गया। समय 02:30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के करौली–धौलपुर नेशनल हाईवे पर

सरमथुरा में स्थित ओवरब्रिज के पास पहुंचा, परिवादी व सहपरिवादी को वाईस रिकार्डर चालू करने की हिदायत कर आरोपीगण के पास पुलिस थाना सरमथुरा के लिए रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्य को अपनी पहचान छिपाते हुए थाने के आस पास परिवादी के नियत ईशारे का इन्तजार करने की हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादी व सहपरिवादी बिना ईशारे किये ही थाने से मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आये व बताया कि हमने थाने में पहुंच कर थानेदार का पता किया तो थानेदार आज छुट्टी पर है व हरिओम हैड साहब थाने से बाहर गये हुए है जो लेट तक आयेगे। इस पर हम वापस आ गये। फोन करने की कहा तो परिवादी ने फोन करने से मना कर कहा कि फोन करूंगा तो वो हम पर शक करेगे। कल सुबह में पता कर आपको सूचना कर दूंगा। परिवादी ने वाईस रिकार्डर मांगने पर अपने गले से निकालकर पेश कर बताया कि आज थानेदार व हरिओम हैड साहब नही मिलने से उनसे कोई बात नही है। मैने केवल एक पुलिस वाले से पूछा वो वार्ता रिकार्ड हुई है व बाहर निकल कर रिकार्डर को बन्द कर लिया था। इस पर सरकारी वाहन में लेपटॉप से कनेक्ट कर चैक किया तो केवल पूछताछ से सम्बन्धित वार्ता रिकार्ड है आरोपीगण से कोई वार्ता रिकार्ड नही है। ऐसी स्थिति में रिकार्ड वार्ता का फर्द रूपान्तरण करने का कोई औचित्य नही है। अतः उक्त वार्ता को डिलीट किया जाकर वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया व परिवादी से फिनोफथलीन युक्त रिश्वत राशि 20,000 रूपये मांगने पर परिवादी ने निकालकर पेश किये जिनको स्वतंत्र गवाह के मार्फत एक कागज का लिफाफा बनवाकर रखवाया जाकर सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाह के हाथ साफ करवाये गये। परिवादी श्री सिरमोहर मीना व सहपरिवादी श्री राजकुमार मीना को बाद हिदायत घर के लिए स्वयं की निजी मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरकारी वाहन बोलेरो मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो व सरकारी मोटर साईकिल से करौली–धौलपुर नेशनल हाईवे पर सरमथुरा में स्थित ओवरब्रिज के पास से रवाना होकर समय समय 04:35 पी.एम. पर कार्यालय पहुंच सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में सुरक्षित रखे कागज लिफाफा जिसमें रिश्वत राशि 20,000 रूपये रखी हुई है को बिना छेड–छाड किये बृजेश कुमार कानि. 461 के मार्फत मालखाना में सुरक्षित रखवाये जाकर हाथ साबुन–पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित उपकरणों को कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक निर्देश दिये गये कि जब भी ट्रेप कार्यवाही हेतु तलब किया जावे तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होवे। स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत रूकसत किया गया। दिनांक 04.12.2022 को परिवादीगण से जरिये मोबाईल हुई वार्ता अनुसार परिवादीगण को आवश्यक निर्देश दिये गये। ट्रेप कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 05.12.2022 को समय 07:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 05.12.2022 को समय 07:10 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री वीर सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री गिरीश कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाहान के सामने कार्यालय के मालखाना में दिनांक 03.12.2022 को ट्रेप कार्यवाही की लिफाफा में फिनोफ्थलीन युक्त रिश्वत राशि 20,000 रूपये रखवाई हुई को लिफाफा सहित निकलवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से दिनांक 03.12.2022 को कार्यालय में तैयार कर गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूंबहूं होना पाये गये जिस पर उक्त रिश्वत राशि को पूर्वानुसार लिफाफा में रखवाकर श्री केशव देव कानि. 600 के पास सुरक्षित रखवाये जाकर आवश्यक हिदायत दी गई एवं मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान, श्री केशव देव कानि. व शेष ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। समय 07:40 ए.एम. पर श्री केशव देव कानि. को स्वयं की निजी मोटर साईकिल से मय फिनोफ्थलीन युक्त रिश्वत राशि 20,000 रूपये लिफाफा सहित के व श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. व सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक को सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से एवं मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय श्री स्वतंत्र गवाहान श्री वीर सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री गिरीश कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक, श्री बृजेश कुमार कानि., श्री श्याम सिंह कानि., श्री विष्णु सिंह कानि., राकेश सिंह कानि. मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, वाईस रिकार्डर, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के मय सरकारी वाहन बोलेरो नं. RJ14 UB 0336 से रवाना होकर समय 08:10 ए.एम. पर करौली–धौलपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम कोडर पर स्थित टोल के पास पहुंचा हूं जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री सिरमोहर मीना व सहपरिवादी श्री राजकुमार मीना उपस्थित मिले और बताया कि आज थानेदार व हैड साहब थाने में ही मिल जायेगे। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देश पर हमराह श्री केशव देव कानि. 600 द्वारा अपने पास से कागज का लिफाफा निकालकर उसमें रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 20,000/–रूपये को परिवादी श्री सिरमोहर मीना की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिने जेब में रखवाये जाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई एवं श्री केशव देव कानि. को खाली कागज का लिफाफा

को नष्ट करने की हिदायत देकर ब्यूरो चौकी करौली के लिए रवाना किया गया। परिवादी श्री सिरमोहर मीना को वाईस रिकार्डर चालू करने की विधि समझाकर वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री सिरमोहर मीना व सहपरिवादी श्री राजकुमार मीना को स्वयं निजी मोटर साईकिल से सरमथुरा के लिए आगे–आगे रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों के मय सरकारी वाहन बोलेरो व मोटर साईकिल के रवाना होकर समय 09:00 ए.एम. पर करौली–धौलपुर नेशनल हाईवे पर समरथुरा में स्थित ओवरब्रिज के पास पहुंच परिवादी व सहपरिवादी को वाईस रिकार्डर चालू करने की हिदायत कर आरोपीगण के पास पुलिस थाना सरमथुरा के लिए रवाना किया गया। हमराहीयान समस्त जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान को पुलिस थाना सरमथुरा के आस–पास पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस भी पुलिस थाने के सामने अपनी पहचान छिपाते हुए मुकिम हुआ। परिवादी व सहपरिवादी पुलिस थाना सरमथुरा के पीछे के गेट से अन्दर चले गये व कुछ समय बाद बिना ईशारा किये ही पुलिस थाना सरमथुरा के मैन गेट से सामने रोड़ पर बाहर आये व साईड में आकर मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि अभी थानेदार साहब अपने ऑफिस में नही है आधे घण्टे बाद थाने में आयेगे एवं हैड साहब ड्यूटी से सरकारी गाडी से बाहर गये हुए है। इस पर परिवादी को वाईस रिकार्डर को चालू करने के बारे में पूछा तो बताया कि मैं वाईस रिकार्डर को चालू नही कर पाया। अब दुबारा जाऊंगा तो वाईस रिकार्डर को चालू कर लूंगा। इस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि थाने के मैन गेट के पास रह कर देखना व थानाधिकारी आने पर चले जाना। रिश्वत लेन–देन होने के बाद निर्धारित ईशारा करने हेतु निर्देश दिये गये। समय 10:50 ए.एम. पर परिवादी मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया और बताया कि थानेदार थाने में आ गये है और उनके पास अब कोई नही है। इस पर परिवादी को वाईस रिकार्डर चालू करने की हिदायत कर पुलिस थाना सरमथुरा के लिए रवाना किया गया। ट्रेप पार्टी को आवश्यक निर्देश दिये गये। परिवादीगण के निर्धारित ईशारे की प्रतिक्षा करने लगे कि समय 11:45 ए.एम. पर परिवादी श्री सिरमोहर मीना ने पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर के मैन गेट के अन्दर सामने से परिवादी द्वारा एक बावर्दी पुलिस वाले से बात करते हुए नियत ईशारा किया जिस पर आस–पास खड़े स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को हाथ का ईशारा कर अपने साथ लेकर पुलिस थाना सरमथुरा के मैन गेट के सामने थाना परिसर में बने हुए मन्दिर के बांयी साईड पर खड़े हुए परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने स्वंय से बात कर रहे हैड कानि. की तरफ हाथ का ईशारा किया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उसके बाये हाथ को कलाईयों के उपर से पकड़ा तो छुडाने का प्रयास करने लगा जिस पर हैड कानि. का दायां हाथ कलाईयों के ऊपर से श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से पकड़वाया जाकर नाम पूछा तो हरिओम हैड कानि. 232 होना बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। आरोपी हैड कानि. के वर्दी पर लगी सरकारी पिस्टल को थाने के श्री भागीरथ कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। आरोपी हरिओम को यथा स्थिति मे रहने की हिदायत कर थानाधिकारी कक्ष मे लाया जाकर आरोपी हैड कानि. को कुर्सी पर बिठाया जाकर कार्यवाही में सहयोग करने हेतु समझाईस की गई। थानाधिकारी को तलब करने पर थानाधिकारी उपस्थित आया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैने पहले थानेदार से थानाधिकारी कक्ष में अपने भाई के मुकदमे के बारे में बात की व चालान जल्दी पेश करने के लिए कहा एवं 20,000 रूपये के लिए कहा तो थानेदार ने मना कर दिया व कहा कि किसने मांगे रूपये, किसी ने भी रूपये नही मांगे होगे, नो कहते हुए मना कर दिया। इसके बाद कहा कि बाहर बेठो में आई.ओ. को बुलाकर पूछ लेता हूं कि कब तक चालान पेश कर देगे। इसके बाद थोडी देर बाद में थानेदार साहब से फिर मिला व 20,000 रूपये निकालकर उनकी टेबल पर रख दिये तो थानेदार ने कहा कि इनको उठाओ, अपने पास रखो, मैं अभी आई.ओ. को बुलाकर पूछ लेता हूं कब तक चालान पेश हो जायेगा। इस पर मैं बाहर आ गया और पीछे से ही थानेदार साहब बाहर आ गये व मेरे से घर परिवार के बारे में पूछने लग गये। थानेदार साहब अपने ऑफिस में चले गये व इतने में मुझे हैड साहब मिल गये जो मुझे स्वागत कक्ष के साईड में लेकर गये व रूपये मांग कर मेरे से 20,000 रूपये अपने बांये हाथ में लेकर दोनो हाथो से पकडे फिर बिना गिने ही बाये हाथ से अपनी पहनी हुई बर्दी की पेन्ट की बांयी जेब में रख लिए और मेरे से बात करते हुए मैन गेट के सामने थाना परिसर में अन्दर बने हुए मन्दिर के पास लेकर आ गये। इतने में मुझे आप दिख गये जिस पर मैने आपको देखकर निर्धारित ईशारा कर दिया। इतने में आप अपनी टीम को लेकर मेरे पास आ गये मेरे द्वारा ईशारा करने पर आपने हैड साहब को पकड लिया। इस पर आरोपी हरिओम हैड कानि. को परिवादी श्री सिरमोहर मीना से 20,000 रूपये रिश्वत लेने के बारे में पूछा तो मना कर दिया मैने रूपये नही लिए। आरोपी हैड कानि. को परिवादी से 20,000 रूपये रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि मेरी सिरमोहर मीना निवासी कोडर से रूपयों के सम्बन्ध में कोई बात नही हुई है नां ही मेरे से पहले मिला था। मैंरी आज डी.ओ. ड्यूटी है और मैं अभी किसी रिपोर्ट में जांच कर

थाने में आया था। इतने में सिरमोहर मीना मुझे थाने में मिल गया तो मैं इसे स्वागत कक्ष के पास में ले गया इतने में इसने मुझे 20,000 रूपये दे दिये। रूपये देने पर मैने सिरमोहर मीना से मना नही किया। रूपये मैने अपनी वर्दी की पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये। इस पर आरोपी हैड कानि. से पूरा नाम पता व पद पूछा तो आरोपी ने अपना नाम हरिओम पुत्र श्री गजाधर, उम्र 40 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम कासोटी खेड़ा, पुलिस थाना सदर बाड़ी, जिला धौलपुर हाल निवासी बालाजी नगर जेल रोड़ धौलपुर हाल हैड कानि. 232, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर होना बताया। इसके पश्चात सरकारी वाहन बोलेरो में से ट्रेप वॉक्स मंगवाकर ट्रेप वॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह गिरीश कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक से स्टील के कटोरा को थानाधिकारी कक्ष में रखे हुए कैम्पर में से पानी निकलवाकर साफ धुलवाकर स्टील के कटोरा में साफ पानी भरवाकर ट्रेप वॉक्स में सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा व चम्मच निकलवाकर स्टील के कटोरा में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी हरिओम हैड कानि. के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात ट्रेप बॉक्स से दूसरा स्टील का कटोरा निकलवाकर पुनः स्वतंत्र गवाह गिरीश कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक से पूर्वानुसार स्टील के कटोरा को पानी से साफ करवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी हरिओम हैड कानि. के बाये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी हरिओम हैड कानि. को परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 20,000 रूपये पेश करने की कहा तो आरोपी ने कहा आप किसी से निकलवा लो, इस पर स्वतंत्र गवाह श्री वीर सिंह कनिष्ठ सहायक से आरोपी हरिओम हैड कानि. द्वारा पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी जेब से रिश्वत राशि निकलवाई गई तो 500–500 रूपये की एक छोटी गड्डी मुडी हुई निकली जिस पर उक्त स्वतंत्र गवाह से गिनवाया तो 500–500 रूपये 40 नोट कुल 20,000 रूपये होना बताया। इस पर उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान कार्यालय में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये, जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर नम्बरी रिश्वत राशि 20,000/–रूपये को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान दोनो व स्टील के दोनो कटोरा व चमच्च को अच्छी तरह साबुन–पानी से साफ करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी हरिओम हैड कानि. को थाना स्टाफ से लोवर मंगवाकर पहनने को दिया गया एवं आरोपी हैड कानि. ने अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट को उतारकर पेश किया जिसकी स्वतंत्र गवाह श्री गिरीश कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक से वर्दी की पेन्ट की बांयी को छोडकर तलाशी लिवाई तो दांई जेब में एक रूमाल मिला इसके अलावा पेन्ट में और कोई वस्तु या राशि व दस्तावेज नही मिले। इसके पश्चात स्टील के कटोरा को पुनः स्वतंत्र गवाह श्री गिरीश कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक से साफ पानी से धुलवाकर स्टील के कटोरा में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में आरोपी हरिओम हैड कानि. के वर्दी के पेन्ट की बांयी जेब को स्वतंत्र गवाह श्री वीर सिंह कनिष्ठ सहायक से उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क PP-1 व PP-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त वर्दी के पेन्ट की बांयी जेब को जाप्ता निगरानी में धूप में सूखवाया जाकर बांयी जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर सील्ड मोहर करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा थानाधिकारी की रिश्वत लेन–देन में संलिप्तता के सम्बन्ध में वॉईस रिकॉर्डर मे रिकार्ड रिश्वत लेन देन वार्ता को लेपटॉप मे कनेक्ट कर टेबल स्पीकर के माध्यम से सुना गया तो रिश्वत लेन–देन में थानाधिकारी की संलिप्तता नही पाई गई, आरोपी हरिओम हैड कानि. व परिवादी सिरमोहर के बीच रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। वाईस रिकार्डर में रिकार्ड में रिश्वत लेन–देन वार्ता का कार्यालय में पहुंच

पृथक से रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। आरोपी हरिओम हैड कानि. से परिवादी के भाई मानसिंह उर्फ लाला व राजेश के विरूद्ध दर्ज प्रकरण के बारे में पूछा तो बताया मान सिंह उर्फ लाला व राजेश के विरूद्ध प्रकरण संख्या 422/2022 दिनांक 01.12.2022 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज है जिसका मैं अनुसंधान कर रहा हूं। फाईल अभी कहा रखी है मुझे पता नही है। इस पर थानाधिकारी द्वारा पत्रावली को तलाश करवाकर पेश किया। पकरण की पत्रावली का पृथक से अवलोकन कर प्रकरण की पत्रावली की पृथक से फोटोप्रति करवाकर प्रमाणित फोटोप्रति जरिये फर्द जप्त की जावेगी। इसके बाद परिवादी व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी हरिओम हैड कानि. के हाल निवास स्थान के बारे में दौराने ट्रेप कार्यवाही ब्यूरो के उच्चाधिकारियों को खाना तलाशी हेतु निवेदन किया गया। आरोपी हरिओम हैड कानि. का सेवा विवरण चाहने हेतु पृथक से पत्र तैयार कर जरिये ईमेल श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर को प्रेषित किया गया। समय 03:20 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सिरमोहर मीना की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 04:00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री सिरमोहर मीना एवं आरोपी हरिओम हैड कानि. के सामने श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर ने मांगने पर में ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 422/2022 की मूल अनुसंधान पत्रावली पेश की जिसका अवलोकन कर प्रमाणित फोटोप्रतियां पृथक से जरिये फर्द जप्ति जप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। मूल अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी को आवश्यक हिदायत कर सुपुर्द की गई। समय 04:40 पी.एम. पर अभियुक्त हरिओम हैड कानि. 232, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) व 120 बी भा.द.सं. में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। पुलिस थाना सरमथुरा के पीछे आर.ए.सी. कैम्पस का एक कमरा जिसको अभियुक्त हरिओम हैड कानि. द्वारा निवास के रूप में काम लिया जाता है की स्वतंत्र गवाहान व अभियुक्त के पिता की मौजुदगी में नियमानुसार जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। समय 07:10 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्यों व परिवादी व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त हरिओम हैड कानि. के सरकारी बाहन बोलेरा व सरकारी मोटर साईकिल मय बरामद शुदा शील्ड नम्बरी रिश्वती राशि 20,000 रूपये व जप्त/शील्डशुदा शीशी मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, PP–1, PP–2 व शील्ड पैकेट मार्क P व वजह सबूत के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के पुलिस थाना सरमथुरा से बाद ट्रेप कार्यवाही रवाना होकर जिला चिकित्सालय करौली पहुंच गिरफ्तार शुदा अभियुक्त हरिओम हैड कानि. का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया व जिला चिकित्सालय से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली करौली पहुंच गिरफ्तार शुदा अभियुक्त हरिओम हैड कानि. को सुरक्षा की दृष्टि से बन्द हवालात करवाकर रवाना होकर समय 08:40 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी करौली पहुंच, ट्रेप कार्यवाही में बरामद शुदा शील्ड नम्बरी रिश्वती राशि 20,000 रूपये व जप्त/शील्डशुदा शीशियों व शील्ड पैकिट को जमा मालखाना करवाया गया। समय 09:00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को दोनो स्वतत्रं गवाहान एवं परिवादी श्री सिरमोहर मीना के समक्ष कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर (acerकम्पनी) से वाईस रिकार्डर को कनेक्ट करवा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 05.12.2022 को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता का 1 पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु व 2 DVD (SONY कमनी) एक मुल्जिम प्रति एवं एक आई.ओ. प्रति तैयार करवाकर मार्क "B" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व पैन ड्राईव व DVD में डब वार्ता का मिलान किया तो हूबहू होना पाई गई। कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा न्यायालय प्रति पैन ड्राईव (Kingston) व मुल्जिम प्रति DVD को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं एक आई.ओ. प्रति DVD को कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया। समय 11:55 पी.एम. पर मूल व मुल्जिम प्रति शील्ड DVD मार्क B कुल 2 को जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 06.12.2022 को समय 00:15 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 22 को

परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 00:40 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री वीर सिंह कनिष्ठ सहायक व गिरीश कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही के आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया एवं परिवादी श्री सिरमोहर मीना ने बताया अभी रात्रि है मैं गांव नही जा सकता, सुबह आपके कार्यालय से रवाना हो जाऊंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर से अभियुक्त का सेवा विवरण प्राप्त किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से परिवादी श्री सिरमोहर मीना व सहपरिवादी श्री राजकुमार मीना की लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 02.12.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन अभियुक्त हरिओम मीना हैड कानि. एवं अन्य पुलिस कर्मी द्वारा आपस में मिली भगत कर स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री सिरमोहर मीना से उसके भाई मान सिंह उर्फ लाला व उसके दोस्त राजेश के विरूद्ध केवल एक दारू का मुकदमा लगाने व बरामद मोटर साईकिलों का मुकदमा नही बनाने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 20,000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग की अनुशरण में दिनांक 05.12.2022 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो अभियुक्त हरिओम मीना हैड कानि. 232 पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर ने बावर्दी पुलिस थाना सरमथुरा परिसर में परिवादी से मांग कर 20,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर अभियुक्त हरिओम मीना हैड कानि. को पकड़ा जाकर की हाथ धुलाई करवाई जाकर आरोपी की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की बांयी जेब से रिश्वत राशि बरामद कर जप्त की गई। परिवादी के भाई व अन्य के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति जप्त कर अभियुक्त हरिओम मीना हैड कानि. 232 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। हरिओम मीना हैड कानि. के पास परिवादी के भाई व अन्य के विरूद्ध दर्ज प्रकरण का अनुसंधान पैण्डिग होना पाया गया। अन्य पुलिस कर्मी का अनुसंधान से नाम व पद स्पष्ट किया जाकर कार्यवाही की जावेगी। अतः अभियुक्त हरिओम मीना पुत्र श्री गजाधर मीना, उम्र 40 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम कासोटी खेड़ा, पुलिस थाना सदर बाड़ी, जिला धौलपुर हाल निवासी बालाजी नगर जेल रोड़ धौलपुर हाल हैड कानि. 232, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर एवं अन्य पुलिस कर्मी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 120 बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अमर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
धौलपुर (राज०)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त श्री हरिओम मीना पुत्र श्री गजाधर मीना, हैड कानि. नम्बर 232, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर एवं अन्य पुलिस कर्मी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 466/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.12.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3992-95 दिनांक 06.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रटाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

6.12.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।